Gujarat State Fertilizer Company Ltd. (GSFC) has, however, reported that the writ petition has been filed by a group of officers whose services had been terminated and the writ petition is not regarding the safety of the plants. They have also pointed out to the good safety record of the company and the various safety awards won by it from time to time; and that the company has highly qualified consultants on safety. They have refuted the allegations published in the Gujarat press.

कानूनी सलाह के लिये अधिवक्ता

2262. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कार्य विभाग में कानूनी सलाह देने तथा अदालतों में मुकदमों की पैरवी करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ती की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कहां-कहां कितने अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है और उनकी फीस और अन्य सुविधाओं पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मौहम्मद खान) (क) कम्पनी कार्य विभाग, जहां भी आवश्यक होता है विधि मंत्रालय से कानूनी सलाह लेता है । उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालयों में मामलों (केसों) का प्रतिवाद करने के लिए विधि मंत्रालय की नामिका सूची से अधिवक्ताओं को लिया जाता है । कम्पनी रजिस्टरों द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले, छोटे न्यायालयों में साधारणत: कम्पनी अभियोजकों द्वारा, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 624क के अन्तर्गत नियुक्त किये जाते हैं और जो सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी हैं, संचालित किये जाते हैं । शासकीय समापकों द्वारा रखे गये अधिवक्ताओं को सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के कम्पनी जज के अनुमोदन पर नियुक्त किया जाता है । जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष मामलों को संचालित करने के लिए अधिवक्ताओं को विधि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नामिका सूची से रखा जाता है ।

(ख) इस सूचना का संकलन करने में अत्यधिक समय लगेगा क्योंकि इसे सारे देश में फैले हुये विभिन्न कार्यालयों से एकत्र करना पड़ेगा जो सम्भवत: प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । तथापि, किसी विशेष मामले में अगर माननीय सदस्य वस्तुत: इच्छुक है, तो, वह सूचना प्रस्तुत करदी जायगी ।

न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता

2263. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय सभी जगहों पर अलग अलग नियुक्त किये गये अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनमें हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला एवं पिछड़े वर्गों लोगों की संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग). अनेक मामलों में भारत संघ का उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में उन अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जो या तो स्थायी काउंसेल होते है या जिनका नाम विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा रखे गये पैनल में दर्ज होता है । इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे अन्य प्रशासनिक मंत्रालय अधिवक्ताओं का अपना एक पैनल रखते हैं और कुछ मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के अनुमोदन से, ऐसे काउन्सिलों

को नियुक्त करते हैं जो पैनल में दर्ज नहीं हैं । स्थायी काउंसलों और पैनल काउंसलों को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है । कुछ काउंसेल निश्चित अवधि की समाप्ति से पूर्व भी त्याग पत्र दे सकते है या उन्हें पैनल से हटाया जा सकता है और ऐसे मामलों में नए काउंसेल नियुक्त किये जा सकते है । नए काउंसेलों के भी नाम विद्यमान पैनल में जोड़े जा सकते है । उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में, संघ की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं के, जो संघ के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करते है, नामों की कोई समकित सूची नहीं रखी गई है । अधिवक्ताओं को, उनकी अर्हताओं, अनुभव, बार में उनकी ख्याति, सक्षमता और इसी प्रकार की बातों के आधार पर, न कि किन्हीं अन्य आधारों पर, नियुक्त किया जाता है ।

सरकारी अधिक्ताओ की फीस

2264. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** क्या **निधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय के आदेशानसार सरकारी अधिवक्ताओं को वही फीस और अन्य सुविधायें दी जा रही हैं जो पन्द्रह वर्ष पहले उन्हें दी जाती थीं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके बाद कभी भी उक्त आदेश का पुनरीक्षण नहीं हुआ और यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती महंगाई तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुये इन अधिवक्ताओं की फीस तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जहां तक कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के काउन्सलों और अन्य पेनल काउन्सलों का प्रश्न है उनको संदेय फीसें और अन्य फायदे निधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा अधिकथित निबंधनो और शर्तों के अनुसार न कि संबद्ध उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुसार दिए जाते हैं; ऐसे मामलों में जहां किसी जिला न्यायालय के समक्ष भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया जाना होता है प्राय संबद्ध राज्य सरकार के सरकारी लीडर को नियुक्त किया जाता है और उसे फीस उसे लागू नियमों के अनुसार तथा संबद्ध राज्य के विधि परामर्शी द्वारा यथा प्रमाणित रूप में दी जाती है ।

(ख) उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के काउन्सेल और पैनल काउन्सेल को लागू निबंधनों और शर्तों का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया गया है ।

Scarcity of cement

2265. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of open market cement have shown a steady rise and there is scarcity of the commodity in the country;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what steps are being taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) and (b) Non-levy cement is free from price and distribution control. The production of cement has increased from 27 million tonnes in 1983-84 to 30.17 million tonnes in 1984-85, thereby improving the availability of cement in the country. However, there has been recently increased in the demand for cement